

**न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर**

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर०ए०एस०)

वाद सं० : 334 सन 2020

अनवान :-

1. राकेश कुमार पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

वादी

बनाम

1. लादुराम पुत्र जगराम जाति खाती निवासी खोपडा तहसील नोहर।
2. सांवरमल पुत्र लादुराम जाति खाती निवासी खोपडा तहसील नोहर।
3. भतेरी पुत्री लादुराम जाति खाती निवासी खोपडा तहसील नोहर।
4. मीरा पुत्री लादुराम जाति खाती निवासी खोपडा तहसील नोहर।
5. शकुन्तला पुत्री लादुराम जाति खाती निवासी खोपडा तहसील नोहर।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88

उपस्थित : श्री नरेन्द्र किशोर जोशी अधिवक्ता वादी

पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :- 18/09/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आशय का पेश किया गया की रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 70/70 की कुल 7.5870 हैक् में से 1/6 हिस्से, रोही मौजा खोपडा के खाता संख्या 24/23 की कुल 19.5490 हैक् में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा जगराम वल्द हरचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के दादा जगराम वल्द हरचन्द के देहान्त होने पर वाद भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा जगराम वल्द हरचन्द ने वाद भूमि के अलावा अन्य ग्राम/खातों की भूमियों की आय एवं सयुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो सयुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 5 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 ता 5 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 को कई मर्तबा कहा की वादी के हक हिस्सा की भूमि को उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो आज कल आज कल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावे की प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी का पिता है के नाम से दर्ज भूमि को वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 बहिब के खातेदार काश्तकार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावे।

वादी का वाद प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादी के वाद को स्वीकार करते हुए ईकबाल दावा पेश किया जाकर प्रतिवादी संख्या

उपस्थित अधिकारी  
नोहर

1 ने निवेदन किया की उसके नाम से दर्ज भूमि उसके पिता जगराम वाद हरचन्द की देहागत होने एवं उसके पिता जगराम वाद हरचन्द ने समुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि उसके / प्रतिवादी संख्या 1 जो वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 8 का हिस्सा है के नाम से करवाई गई थी वर्तमान में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है जो समुक्त परिवार की सम्पत्ति है अर्थात् पैतृक समुक्त परिवार की सम्पत्ति है जिसमें परिवार की सभी सदस्यों अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 8 का प्रतिवादी संख्या 1 का बराबर का हक हिस्सा है प्रतिवादी संख्या 3 का 5 जो वादी की बहने है ने निवेदन किया की उन्होंने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में किया जा चुका है इसलिये वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 2 के हक हिस्सा की भूमि है जिसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो किसी प्रकार का ऐतराज नहीं है एवं अपने कथनों के समर्थन में जिरवे अधिवक्ता इकबाल जबाब भी पेश किया जा चुका है जो शामिल निस्तर किया गया है एवं प्रतिवादी संख्या 6 परोक्ष राज ने जबाब पेश किया की वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्य हकों को सुरक्षित रखते हुए निस्तरण किया जाता है तो कोई ऐतराज नहीं है जबाब शामिल निस्तर किया गया।

प्रकरण में प्रतिवादीगण जिन सुबूतों प्रस्तुत कीने के कारण लम्बी की आवश्यकता नहीं रही संख्या में वादी ने अपना साक्ष्य पेश किया जिसे जिरवे प्रतिवादीगण के द्वारा जिरव नहीं करने के कारण जिन्हें भूमि नहीं सहायता सम्पत्तियों की प्रकृत भूमि गई।

वादी वादी के अधिवक्ता ने अपनी बहने ने अपने वाद में अंकित लखों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही भोजा खोपरा के खेत संख्या 70/70 की कुल 75870000 में से 1/6 हिस्से रोही भोजा खोपरा के खेत संख्या 24/23 की कुल 195480000 में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज है पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

उक्त भूमि वादी के दादा जगराम वाद हरचन्द के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज वादी के दादा जगराम वाद हरचन्द के देहागत होने पर यदि भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हुई है तथा वादी के दादा जगराम वाद हरचन्द ने वाद भूमि के अलावा अन्य धर्म/खाती की भूमियों की आय एवं समुक्त परिवार की आय से कुछ भूमि प्रतिवादी संख्या 1 के नाम करवाई गई थी जो समुक्त परिवार की दादालाई पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी की भूमि है जो वर्तमान में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है वह पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार की सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 का 8 का प्रतिवादी संख्या 1 के साथ बराबर का हक हिस्सा है।

प्रतिवादी संख्या 3 का 5 वादी की बहने एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पुत्री है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के पक्ष में त्याग कर दिया है इसीप्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 का बराबर का हक हिस्सा है जिसे राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने के अधिकारी है।

वादी के वाद को प्रतिवादी संख्या 1 का 5 ने स्वीकार किया जाकर इकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात् वादी के वाद के सम्बन्ध में कोई ऐतराज नहीं है वादी अपने कथनों के सम्बन्ध में न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे 1998 पेज 615 एवं आरआरडी वर्ष 1998 पेज 646 प्रस्तुत कर निवेदन किया की कोई भी खातेदार कारशकार आपसी सहमति / राजीनामा के आधार पर अपने हकों को स्थानान्तरण कर सकता है तथा न्यायाधिक दृष्टान्त आर.बी.जे 1998 पेज 646 एवं आरआरडी 2001 पेज 459 के अनुसार कोई भी खातेदार अपनी स्वेच्छा से आपसी सहमति पक्षकारों के मध्य राजीनामा के द्वारा भी हस्तान्तरित करने में सक्षम है इसप्रकार न्यायाधिक दृष्टान्त भी प्रकरण में पूर्णतया चर्या होते है अतः वादी का वाद डिक्री करमाया जावे।

परोक्ष राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पत्ति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तरण फरमावे।

  
 20/05/2024  
 नोडर

सत्यमेव जयते

हमने उभयपक्षों की बहस सूची पत्रावली का अवलोकन किया प्रस्तुत रिकार्डों के अनुसार रोही मौजा खोपड़ा के खाता संख्या 70/70 की कुल 7.5870 हेक्टर में से 1/6 हिस्से, रोही मौजा खोपड़ा के खाता संख्या 24/23 की कुल 19.5490 हेक्टर में से 1/6 हिस्सा भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है।

वादी का कथन है कि नाम भूमि वादी के चाचा जगशम बल्ल हरचन्द के नाम से पूर्व थी जिसके देहान्त होने पर निरास्तन से भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज हुई है तथा वादी के चाचा जगशम बल्ल हरचन्द ने समुक्त परिवार की आय एवं अन्य पैतृक सम्पत्ति की आय से वाद भूमि में कुछ भूमि वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से करवाई गई थी जो पैतृक सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का हक हिस्सा है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 1 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उसके नाम से वर्तमान राजस्व रिकार्ड में दर्ज भूमि समुक्त परिवार की आय की सम्पत्ति है जिसमें परिवार के सभी सदस्यों का बराबर का हक हिस्सा है अर्थात् वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के हक हिस्सा की भूमि है।

वादी का कथन है प्रतिवादी संख्या 3/ता 5 वादी की बहने है ने अपने हक हिस्सा की भूमि का त्याग वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 को किया जा चुका है वादी के कथनों को प्रतिवादी संख्या 3/ता 5 ने स्वीकार किया जाकर निवेदन किया की उन्होंने अपने हक का त्याग किया हुआ है वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1, 2 के हक हिस्सा की भूमि है जैसे उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जाती है तो कोई एतराज नहीं है व अपने कथनों के सामर्थन में ईकबाल भी पेश किया जा चुका है जो शामिल गिराल किया जा चुका है।

वादी के वाद को प्रतिवादीगण के द्वारा स्वीकार करने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूत एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों को प्रकरण पर चर्चा होते है की समुक्त परिवार की आय एवं पैतृक सम्पत्ति की आय से खरीद/अर्जित की गई सम्पत्ति भी पैतृक सम्पत्ति की श्रेणी आती है अर्थात् परिवार के सभी सदस्यों के हक हिस्सा की भूमि है वादी भूमि पैतृक सम्पत्ति साबित होने के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण खारिज डिक्री है।

अतः वादी के वादी को प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के द्वारा वादी के वाद को स्वीकार करने एवं पेशेकार राज का किसी प्रकार का एतराज नहीं होने एवं वादी के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबूतों एवं न्यायाधिक दृष्टान्तों के आधार पर वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही मौजा खोपड़ा के खाता संख्या 70/70 की कुल 7.5870 हेक्टर में से 1/6 हिस्सा एवं रोही मौजा खोपड़ा के खाता संख्या 24/23 की कुल 19.5490 हेक्टर में से 1/6 हिस्सा दोनों खाता में समुक्त तौर प्रतिवादी संख्या 1 के नाम से दर्ज है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 बहिष् के खातोंदार कार्रकार घोषित किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के सलमन 5000/- रु स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे वय वाद उभयपक्ष अपना अपना कहन करेगे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल गिराल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर वाद तस्तीब तकमील जाब्दा दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/09/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसने ईजलास में सुनाया गया।

उपस्थित न्यायाधीश (राजस्व)  
नोहर (सिंधुनगर)

धर्मा रिक्ति

( आर्डीए 20, खल 6-7 जाका दिवानी )

राजस्थान सहायक कालक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

संख्या 20

1. राजेश कुमार पुत्र लालराम जाति खाती निवासी खोपडा तहसील नोहर जिला हनुमानगढ़।

वादी

बनाम

- 1. लालराम पुत्र लालराम जाति खाती निवासी खोपडा तहसील नोहर।
- 2. राजेश कुमार पुत्र लालराम जाति खाती निवासी खोपडा तहसील नोहर।
- 3. भोरी पुत्री लालराम जाति खाती निवासी खोपडा तहसील नोहर।
- 4. भोरा पुत्री लालराम जाति खाती निवासी खोपडा तहसील नोहर।
- 5. राजेश कुमार पुत्र लालराम जाति खाती निवासी खोपडा तहसील नोहर।
- 6. राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार राजेश्वर नोहर जिला हनुमानगढ़।

प्रतिवादीगण

बाद अनुसूचित धरिता 88, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्थान बाद संख्या 234 खन 2020 निर्णय दिनांक- (8/9/2020)

आज यह बाद भूमि रीजिस्टर कोचर उपखण्ड अधिकारी ( राजेश्वर ) नोहर के समक्ष

अधिसूचना जारी एवं परोक्षर राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे / निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर बाद वादी साक्ष्य रखती एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण बाद वादी लिखी किया जाकर घोषणा की जाती है कि रोही भौजा खोपडा के खाता संख्या 72/72 की कुल 78872हैट में से 1/8 हिस्सा एवं रोही भौजा खोपडा के खाता संख्या 28/28 की कुल 285590हैट में से 1/8 हिस्सा दोनों खातों में समुक्त तौर प्रतिवादी संख्या 1 के माक से रखा है में वादी व प्रतिवादी संख्या 1, 2 बाहिर के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाता है इसी अनुसार राजेश्वर रिकार्ड में अंकन करने हेतु ईजराय प्रार्थना पत्र के संख्या 8920/- रु रकम एकमोलन शामिल किया जावे। यदि भूमि बैंक के रहन हो तो बाद सहसुक्त राजेश्वर रिकार्ड में अंकन किया जावे लय बाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करने।

धर्मा रिक्ति आज दिनांक 8/9/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई।

सत्यमेव जयते

उपखण्ड अधिकारी ( राजेश्वर )  
नोहर ( हनुमानगढ़ )